कबीरधाम पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

दिनांक 27/04/20

थाना स 0 लोहारा

- **धारा -420,34 भादवि 0 के आरोपीयो को भेजा जेल**
- **6 माह से फरार आरोपीयो को दुर्ग मे पकडा गया**
- **आरोपीयो द्वारा दर्जनो किसानो का अनाज चना , सोयाबीन , धान , मसुर , इत्यादि को खरीद कर लगभग (3500000) पैतीस लाख रूपये का धोखाधडी करना**
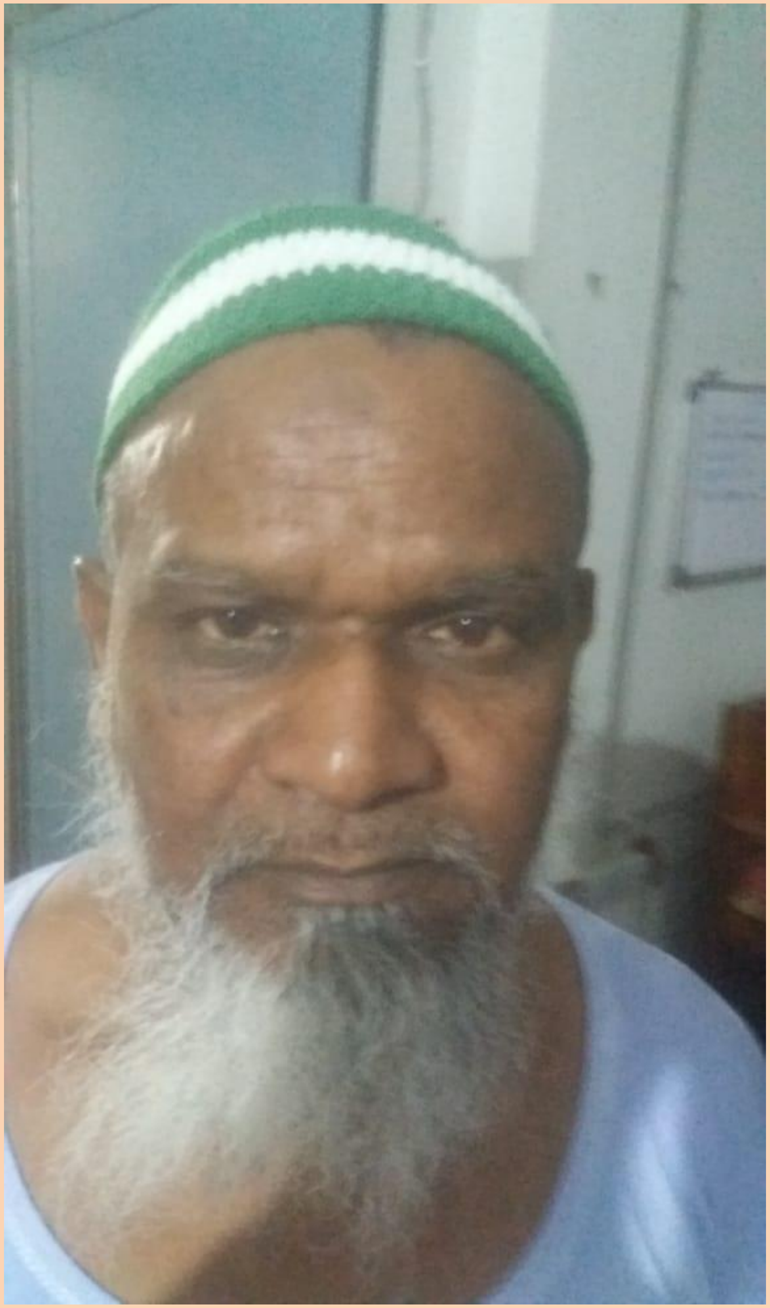
पुलिस अधीक्षक श्री के.एल.ध्रुव , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी , उप पुलिस अधीक्षक श्री बी.आर.मण्डावी के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी मुकेश यादव के द्वारा मुखबीर लगाकर दुर्ग मे लुकते छिपते आरोपी 1. मुबलीक पिता मुबारक खान उम 61 वर्ष 2 आकीब पिता मुबलीक खान उम 33 वर्ष निवासी जमुनिया थाना स 0 लोहारा जिला कबीरधाम को पकडा गया जिसके विरूध्द आवेदक हरिशचंद पिता रूहेल साहु उम 42 साल साकिन बिरेन्द्रनगर के द्वारा ग्राम बिरेन्द्रनगर के 31 किसानो का अनाज चना,मसुर,धान,सोयाबीन,इत्यादि जुमला किमती लगभग (3500000) पैतीस लाख रूपये का खरीदकर किसानो को दो दिन मे पैसा दिया जावेगा कहकर आज तक पैसा नही दिया गया किसानो के साथ छल किया गया जिस प्रार्थी के रिपोर्ट पर दिनांक 31/10/19 को थाना स 0 लोहारा जिला कबीरधाम मे अपराध क्रमांक 175/19 धारा - 420,34 भादवि 0 का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया आरोपीगण अपराध कायमी दिनांक से अब तक फरार था जिसे अथक प्रयास कर मुखबीर लगाकर दिनांक 26/05/20 को दुर्ग मे लुकते छिपते पकडा गया आरोपी 1. मुबलीक पिता मुबारक खान उम 61 वर्ष 2 आकीब पिता मुबलीक खान उम 33 वर्ष निवासी जमुनिया थाना स 0 लोहारा जिला कबीरधाम को गिरफ्तार का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया